न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–33/2019

सतनामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख उम्र 42 वर्ष निवासी चक 6 केबी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर।

--- **प्रार्थी**

बनाम्

1. परमजीतकौर पत्नी परविन्द्रसिंह जाति जटसिख उम्र 35 वर्ष निवासी चक 6 के–बी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर
2. परविन्द्रसिंह पुत्र जगदीपसिंह जाति जटसिख उम्र 37 वर्ष निवासी चक 6 के–बी तहसील अनूपगढ जिला श्री गंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

-----**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अधिवक्तागण–

1. श्री अनिल गक्खड़ एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र सिंह एडवोकेट – अप्रार्थीगण सं.–1 एवं 2 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक 31.05.21**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 6 के बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–5 पत्थर सं.–157/14 का किला नं.–11/3 का 0.152, 12/2 का 0.177, 13/1 का 0.177, 14/2 का 0.177, 15/1 का 0.177, 16/2 का 0.177, 17,18,19 प्रत्येक का 0.253, 20/1 का 0.102, 25/1 का 0.126 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे आयंदा प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जाऐगा। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर निरन्तर एवं निबार्ध रूप से प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है राजस्व कर एवं सिंचाई कर निरन्तर प्रार्थी अदा करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी उक्त विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। जिसके किला नम्बर 25 में प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित आबाद होकर उक्त विवादित कृषि भूमि को काश्त करता है। अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 पति–पत्नि है जो प्रार्थी के पड़ौसी काश्तकार है अप्रार्थी सं.–1 के नाम से इसी मुरब्बा में यानि चक 6 के बी का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 का किला नं.–7,8,9 प्रत्येक का 0. 253,10/1 का 0.228,11/1 का0.076, 12/1 का 0.076, 13/2 का 0.076, 14/1 का 0.076, 15/2का 0.076, 16/1 का 0.076, 25/3 का 0.051 हैक्टर कुल 1.494 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं.–2 के पिता के नाम से किला नं.–20ता24 की कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि है जिसकी जमाबंदी की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं.–2 [illegible] किस्म का व्यक्ति है चूंकि प्रार्थना पत्र की मद सं.–4 में दर्ज कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 व [illegible] के पिता के नाम से है जो अप्रार्थी सं.–2 के पिता के नाम से है जो अप्रार्थी सं.–2 काश्त [illegible] है जिसकी वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.–2 प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी के कृषि कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गया है तथा चूंकि वर्तमान मे रबी की फसल कटाई होने के पश्चात अब काफी दिनों से भूमि खाली पड़ी है जिसे खाली पड़ा देखकर अप्रार्थी सं.–2 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अपनी भूमि में शामिल करने के लिए प्रयासरत है तथा आए रोज अनावश्यक रूप से अकारण विवाद उत्पन्न कर रहा है तथा पिछले कई दिनों से अप्रार्थी सं.–2 प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि मे प्रार्थी की काश्त में सिंचाई व प्रार्थी की ढाणी में प्रार्थी व उसके परिवार की रिहायश एवं आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:16 IST
Reason: SelfAttested

में दखलन्दाजी करने लग गये तथा एलानिया कहने लगे कि वह प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य को उक्त विवादित भूमि काश्त नही करने देगा तथा नहरों में सिंचाई का पानी आने पर प्रार्थी को भूमि सिचिंत नही करने देगा जबकि अप्रार्थी सं.–1 को ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही होता है। अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 ने अपने उक्त नापाक ईरादे से आज से अरसा दो रोज पूर्व जब प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की विवादित भूमि में आगामी फसल के लिए भूमि में हल कराहा लगा रहा था तो प्रार्थी के साथ झगड़ा किया तथा उसके कृषि कार्य में बाधा पैदा करने लगा और सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि प्रार्थी विवादित भूमि को चुपचाप छोड़ देवे अन्यथा वह जबरदस्ती प्रार्थी को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेगा जिस पर उस समय तो प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.–1 के उक्त मकसद को विफल कर दिया लेकिन जाते समय अप्रार्थी सं.–2 ने धमकी दी कि प्रार्थी को विवादित भूमि काश्त नही करने देगा और ना ही आने वाली सिंचाई की बारी प्रार्थी को लगाने देगा बल्कि वह इस जमीन पर अपना कब्जा करेगा और प्रार्थी को बलपूर्वक बेदखल कर देगा। प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का खातेदार कृषक है ओर प्रार्थी का विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके किला नम्बर 25 मे प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है अप्रार्थी सं.–1 व 2 को प्रार्थी की उक्त खातेदारी कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं.–1व2 बिना किसी विधिक अधिकार के प्रार्थी को विवादित भूमि से जबरन बेदखल कर उस पर अवैध रूप से काबिज होने के प्रयासरत है जबकि प्रतिवादी सं.–1व2 को ऐसा करने का कतई विधिक अधिकार नही है। अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त नापाक व अवैध इरादे मे कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थी के सवैधानिक अधिकारों का हनन होगा ओर प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नही हो सकेगी। इसलिए प्रार्थी विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण सं.–01 एवं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 के बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 में 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है। अप्रार्थीगण सं.–1एवं2 आपस में पति पत्नी होना स्वीकार है। चक 6 के बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 की 1.494 हैक्टर खातेदारी रकबा अप्रार्थीया सं.–1 के नाम से व 1.013 हैक्टर रकबा अप्रार्थी सं.–2 के पिता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है। अप्रार्थीगण सं.–1वा2 ने कभी भी प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से दखलदांजी करने का प्रयास नही किया गया व ना ही उसके कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलदांजी की है। प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण जो कि शांतिप्रिय है तथा शांतिपूर्वक अपनी–अपनी कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। जबकि वास्तविकता इस प्रकार है कि–अप्रार्थीया सं.–1 की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 के किला नं. –20ता24 का सिंचित करने के लिए एक कच्चा खाला जो इसी मुरब्बा के किला नं.–15,14,13,18 के मध्य से होता हुआ किला नं.–23,24 के मध्य खुलता था, जो अरसा करीब 4 वर्ष पूर्व बना हुआ था तथा अप्रार्थीया सं.–1 उक्त कच्चा खाला से ही अपनी कृषि भूमि को सिंचित करती आ रही थी। उक्त कच्चा खाला को प्रार्थी ने नष्ट कर श्रीमान् न्यायालय में वाद पत्र–प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह का स्थगन आदेश प्राप्त किया है जिस स्थगन आदेश की आड में प्रार्थी अप्रार्थीया सं.–1 को अपनी कृषि भूमि को उक्त कच्चा खाला से सिंचित करने से रोक रहा है तथा नहरों में पानी आने वाला है तथा खाला नष्ट होने के कारण अप्रार्थीया सं.–1 की उक्त कृषि भूमि में पानी नही लग सकता है। अप्रार्थीगण केवल मात्र अपनी कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए अरसा पूर्व से चले आ रहे खाला को पुनः चालू करवाना खुलवाना चाहते है। श्रीमान् न्यायालय के द्वारा दिये गये स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण के हक प्रभावित हो रहे है क्योंकि अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि को सिंचित नहीं कर पा रहे है तथा सिंचाई के अभाव में प्रार्थीगण की फसल नष्ट हो जावेगी। इसलिए प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:16 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण के पुत्र अश्विन द्वारा अपनी कृषि भूमि के किला नं.–20 ता24 के संबंध में अपने अधिकारों की घोषणा बाबत एक वाद पत्र अश्विन बनाम् जगदीप आदि प्रकरण सं.–94/2016 है, श्रीमान् न्यायालय में पेश कर रखा है जो आज भी जैरकार है तथा उक्त वाद पत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीया सं.–1 ने उक्त वाद पत्र अपने नाबालिग पुत्र की ओर से जरिए कुदरतीवली प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीया सं.–1 की उक्त कृषि भूमि की सार संभाल व काश्त करती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद, निराधार होने के कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी सतनामसिंह पुत्र गुरचरणसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 के बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–5 पत्थर सं.–157/14 का किला नं.–11/3 का 0.152, 12/2 का 0.177,13/1 का 0.177, 14/2 का 0.177, 15/1 का 0.177, 16/2 का 0.177,17,18,19 प्रत्येक का 0.253, 20/1 का 0.102, 25/1 का 0.126 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर निरन्तर एवं निबार्ध रूप से प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके किला नम्बर 25 में प्रार्थी की रिहायशी ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित आबाद होकर उक्त विवादित कृषि भूमि को काश्त करता है। अप्रार्थी सं.–1 एवं 2 पति–पत्नि है जो प्रार्थी के पड़ौसी काश्तकार है अप्रार्थी सं.–1 के नाम से इसी मुरब्बा में यानि चक 6 के बी का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 का किला नं.–7,8,9 प्रत्येक का 0.253, 10/1 का 0.228, 11/1 का 0.076, 12/1 का 0.076, 13/2 का 0.076, 14/1 का 0.076, 15/2 का 0.076, 16/1 का 0.076, 25/3 का 0.051 हैक्टर कुल 1.494 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं.–2 के पिता के नाम से किला नं.–20ता24 की कुल 1.013 हैक्टर कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं.–2 झगडालू किस्म का व्यक्ति है। जिसका वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.–2 प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थी के कृषि कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गया है चूंकि वर्तमान मे रबी की फसल कटाई होने के पश्चात अब काफी दिनों से भूमि खाली पड़ी है जिसे खाली पड़ा देखकर अप्रार्थी सं.–2 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अपनी भूमि में शामिल करने के लिए प्रयासरत है

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि चक 6 के बी तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 में 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज होना रिकार्ड का तथ्य है।अप्रार्थीगण सं.–1वा2 ने कभी भी प्रार्थी की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार से दखलदांजी करने का प्रयास नही किया गया व ना ही उसके कृषि कार्य में किसी प्रकार की दखलदांजी की है। प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय को गुमराह करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र/प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण जो कि शांतिप्रिय है तथा शांतिपूर्वक अपनी–अपनी कृषि भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। जबकि वास्तविकता इस प्रकार है कि–अप्रार्थीया सं.–1 की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–5 पत्थर सं.–157/14 के किला नं.–20ता24 की सिंचित करने के लिए एक कच्चा खाला जो इसी मुरब्बा के किला नं.–15,14,13,18 के मध्य से होता हुआ किला नं.–23,24 के मध्य खुलता था, जो अरसा करीब 4 वर्ष पूर्व बना हुआ था तथा अप्रार्थीया सं.–1 उक्त कच्चा खाला से ही अपनी कृषि भूमि को सिंचित करती आ रही थी। उक्त कच्चा खाला को प्रार्थी ने नष्ट कर श्रीमान् न्यायालय में वाद पत्र–प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह का स्थगन आदेश प्राप्त किया है व स्थगन आदेश की आड में प्रार्थी अप्रार्थीया सं.–1 को अपनी कृषि भूमि को उक्त कच्चे खाले से सिंचित करने से रोक रहा है।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरणः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि चक 6 के बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–5 पत्थर सं.–157/14 का किला नं.–11/3 का 0.152, 12/2 का 0.177, 13/1 का 0.177, 14/2 का 0.177, 15/1 का 0.177, 16/2 का 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:16 IST
Reason: SelfAttested

177,17,18,19 प्रत्येक का 0.253, 20/1 का 0.102, 25/1 का 0.126 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा अपने ही कृषि भूमि पर कोई वेजा दखलन्दाजी नहीं करें बाबत् स्थगन प्राप्त किया है। उक्त कृषि भूमि का वह वास्तविक खातेदार है। जिसमें प्रार्थी का हित निहित है। वस्तुतः उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. **सुविधा का संतुलनः**—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। विवादित कृषि भूमि प्रार्थी खातेदारी कृषि भूमि है यदि हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कृषि भूमि के कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी की जाती है तो असुविधा प्रार्थी को ही होगी। चूंकि अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष में उपरोक्त कृषि भूमि में कोई अधिकार ही सृजन नहीं हो रहे है तो ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है न की अप्रार्थी सं.—01 एवं 02 के पक्ष में।

3. **अपूर्णीय क्षतिः**— जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विवादित कृषि भूमि प्रार्थी खातेदारी कृषि भूमि है अप्रार्थी संख्या 01एवं 02 के उपरोक्त कृषि भूमि में जब कोई अधिकार ही सृजन नहीं हो रहे है। प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक है राज. काश्त. अधिनियम के तहत प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि का खातेदार कृषक होनें के कारण उक्त कृषि भूमि पर पूर्णरूप से उपभोग एवं उपयोग करने की अधिकारिता रखता है। ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की नहीं की जाती है तो प्रार्थी उक्त कृषि भूमि के उपभोग एवं उपयोग नहीं कर सकेगा एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि के कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी की जाती है तो असुविधा प्रार्थी को ही होगी एवं प्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.—1 एवं 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के नाम की कृषि भूमि वाके 6 के बी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं—5 पत्थर सं.—157/14 का किला नं.—11/3 का 0.152, 12/2 का 0.177, 13/1 का 0.177, 14/2 का 0.177, 15/1 का 0.177, 16/2 का 0.177,17,18,19 प्रत्येक का 0.253, 20/1 का 0.102, 25/1 का 0.126 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर कृषि भूमि पर कब्जाकाश्त, उपयोग उपभोग एवं उसके लिए प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी ना करें। न्यायालय द्वारा जारी यह अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि की सिंचाई व्यवस्था हेतु किसी सक्षम अधिकारी/सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सिचांई खाले/जलसारणी के निर्माण के संबंध में प्रभावशील नही होगी एवं अप्रार्थीगण सिंचाई सुविधा खाले/जलसारणी इत्यादि के लिए सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। [illegible] की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.30 19:20:16 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़